गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

आदेश :-

डिजाइन आर्क ई होम रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन व प्रमोटर के मध्य कॉमन एरिया फैसिलिटीज के हस्तांतरण एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में आर०डब्ल्यू०ए० के पत्र दिनांक-30.3..12 के कम में दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु दिनांक-2_.4.12 को कार्यालय में बुलाया गया, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई में निर्णय लिया गया कि आर०डब्ल्यू०ए० द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसायटीज एण्ड चिट फन्ड के आदेश दिनांक 13.4.12 के कम में तिथि सम्मत प्रबन्धन समिति का चुनाव शीघ्र किया जाए। चुनाव उपरान्त गठित समिति को उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट 2010 के अन्तर्गत कॉमन फैसिलिटीज को हैण्ड ओवर किया जाना सुनिश्चित करें। जिसकी सूचना प्राधिकरण के पत्र दिनांक- 01.5.12 द्वारा दोनों पक्षों को प्रेषित की गई। आर०डब्ल्यू०ए० के जनरल इलैक्शन जो सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० के समक्ष दिनांक 27.5.12 को सम्पन्न कराए गए है, की प्रति प्रस्तुत की गई है। पुनः दोनों पक्षों को सुने जाने हेतु दिनांक-30.5.12 को पुनः तिथि निर्धारित की गई, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित हुए। आर०डब्ल्यू०ए० द्वारा कॉमन फैसिलिटीज को आर०डब्ल्यू०ए० को हस्तान्तरित किए जाने तथा उससे सम्बन्धित मैन्टेनेंस की धनराशि ब्याज सहित रू0 9,69,31,865/- तथा बेसमेंट में निर्मित दुकानों को हटाये जाने एवं परिसर में निर्मित सारे स्टोर्स को हैण्ड ओवर किए जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया।

एतद द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि मै० डिजाइन आर्क इन्फास्ट्रक्चर प्रा०लि० एक सप्ताह के अन्दर उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट 2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर अपना डिक्लीयरिफिकेशन प्रस्तुत करें। उ० प्र० अपार्टमेंट रूल्स में जारी डिक्लीयरिफिकेशन का प्रारूप आदेश के साथ संलग्न किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त हैण्डिंग ओवर के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए दिनांक 30.6.12 तक अवगत कराया जाए। उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट के प्राविधानों के अनुसार अब प्रश्नगत अपार्टमेंट के कॉमन एरिया व उसके मेंटीनेन्स से सम्बन्धित अधिकारों को आदेशित दिनाक तक आर०डब्ल्यू०ए० को हस्तगत नहीं किए जाने के सम्बन्ध में इन्हें स्वतः हस्तगत माना जाएगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए एव कार्यवाही नही किए जाने की स्थिति में उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिह)
पी.सी.एस.
विशेषाधिकारी
(सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकृत)

पृष्ठांकन सं0- 345(ii)/नियो०अनु०/12 दिनांक- 12/6/12

प्रतिलिपि-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
2. प्रैसीडेंट, आर०डब्ल्यू०ए० डिजाइन आर्क ई होम, जीएच-6, सैक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद को सूचनार्थ।
3. मैनेजिंग डायरेक्टर, मै० डिजाइन आर्क इन्फास्ट्रक्चर प्रा०लि०, सी-62, द्वितीय तल, प्रीत विहार, विकास मार्ग,नई दिल्ली को उ०प्र० अपार्टमेंट नियमावली की प्रति संलग्न करते हुए दिए गए आदेश पर आवश्यक अनुपालन हेतु।

12/6/12

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेषाधिकारी